डॉ० अम्बेडकर और दलित समस्या

शंभु कुमार राम

एम० ए० इतिहास,

नेट, पी–एच.डी.

बी० आर० अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

डॉ. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ई० को इंदौर जिले के मटु छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामाजी सतपाल एवं माता का नाम भीमाबाई था। वह अपने माता–पिता के 14वीं संतान थे। उनके पिता फौज से सेवानिवृत्त होकर सपरिवार सतारा चले गए। सतारा में लंबी बिमारी के कारण 1896 में उनकी माँ की मृत्यु हो गई। उनके माता–पिता के मृत्यु के बाद बुआ के यहाँ डॉ. अम्बेडकर का पालन पोषण हुआ।

प्रारंभिक शिक्षा 7 नवम्बर 1900 ई० में गर्वमेंट वार्नाक्यूलर हाईस्कूल सतारा में प्रारंभ हुई। उस स्कूल में अम्बेडकर नामक एक ब्राह्मण प्रधानाध्यापक थे जो भीमराव से बहुत प्रभावित थे। भीमराव का उपनाम अंबेडकर था। ब्राह्मण अध्यापक ने ही इस अनाम का सुझाव दिया। तभी से इनका पुरा नाम भीमराव अम्बेडकर लिखा जाने लगा। 1906 अम्बेडकर का विवाह रमाबाई के साथ हुआ तथा 1907 में अम्बेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इससे खुश होकर कृष्णा जी अनंत केलूसकर (जो कि एक शिक्षक एवं लेखक थे)। उन्होंने हीं अम्बेडकर को गौतम बुद्ध पर आधारित एक पुस्तक दी एवं उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया।

भीमराव ने 1910 ई. में इंटरमिडियट तथा 1912 ई. में फारसी विषय के साथ बी.ए. की परीक्षा उतीर्ण की। उसी वर्ष उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम यशवंत रखा। आर्थिक कमजोरी के कारण वह नौकरी करने हेतु बड़ौदा रियासत में गए उन्हें सेना में लेफ्टीनेंट पर पर नियुक्त किया गया। किन्तु उसी समय उनके पिता का देहान्त हो गया। जिससे वह और भी कई समस्याओं से घिर गए। जुन 1913 ई. में बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड द्वारा उच्च शिक्षा हेतु चार छात्रों को विदेश भेजने की घोषणा की गई जिसमें भीमराव अम्बेडकर को भी चुना गया। कुछ शर्तो के साथ भीमराव अम्बेडकर 21 जुलाई 1913 को उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका के न्यूयार्क शहर पहुँचे। भीमराव अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एम.ए. अर्थशास्त्र में इस्ट इण्डिया कंपनी के प्रशासन और वित्त व्यवस्था पर शोध प्रबंध प्रस्तुत कर उपाधि प्राप्त की। एम.ए. का शोध निबंध एंसियेंट इंडियन कॉमर्स जो प्राचीन भारत में व्यापार भी था। वहाँ जान डप्पुई, जेम्स शाहवेल, एडमिन ऐलिग्मन, जेम्स हर्वे, राबिंसन फ्रेंकलीन, अलेक्जेंडर, गोल्डेन वेसेंट जैसे विद्वान प्राध्यापकों से भीमराव का परिचय हुआ। 1916 में ही ''द नेशनल डिविडेंट ऑफ इण्डिया ए हिस्टोरिकल एण्ड एनालेटिकल स्टडी (भारत में राष्ट्रीय लाभ का ऐतिहासिक तथा विश्लेषनात्म अध्ययन) शोध प्रबंध प्रस्तुत की पी–एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। इंग्लैंड की सुप्रसिद्ध पी.एस.किंग एण्ड कंपनी नामक प्रकाशन संस्थान ने इस शोध प्रबंध में ''दी इवलुयूशन ऑफ प्राविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया'' शीर्षक से 1927 में प्रकाशित किया। इस शोध प्रबंध में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों और साम्राज्यवादी की खुलकर आलोचना की थी। गायकवाड द्वारा प्रदत छात्रवृति के शर्तो के अनुसार डॉ. अम्बेडकर को लौटकर 1918 ई. में बड़ौदा महाराज के दरबार में मिलिट्री सचिव के पद पर काम करना पड़ा। इस पद पर कार्य करते समय वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा भी छुआछुत के माध्यम से प्रताड़ना दी गई और सवर्णो द्वारा इतना परेशान किया गया कि मजबूर होकर उन्हें यह नौकरी छोड़नी पड़ी। उसी समय नवम्बर 1918 में ही सेडनहूम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड इकोनोमिक्स बंबई में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त हुए।

भारतीय समाज में दलितों पर हो रहे अत्याचारों और उनकी समस्याओं को लेकर कोई भी पत्र–पत्रिका छापने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में डॉ० अम्बेडकर ने दलित समस्याओं को उजागर करने के लिए अपने जीवन काल में पाँच पत्र मूकनायक, बहिस्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत पत्रिका निकाले। मूकनायक डॉ. अम्बेडकर का प्रथम मराठी पत्रिका था। जिसकी शुरूआत छत्रनपति शाहुजी महाराज के सहयोग से 1920 ई० में हुई। पत्र का नाम मूकनायक अर्थात् मूकलोगों का नायक मुंबई से प्रकाशित हुआ। इसके 13 अंक प्राप्त हुए। सरकारी कॉलेज में प्राध्यापक होने के नाते डॉ. अम्बेडकर मुकनायक के विधिवत संपादक नहीं थे लेकिन सामग्री के सृजक वहीं थे। संपादनसूत्र पांडूराम नंदराम भटकर को सौंपा गया। इसके वित्तीय संपादक ध्रुवनाथ घोलक थे। शुरू के 13 अंकों का संपादकीय

डॉ० अम्बेडकर ने ही किया। डॉ० अम्बेडकर से पूर्व में तमाम सामाजिक कार्यकर्ता ने पत्रकारिता में निर्भयता, ऐतिहासिक, सामाजिक, साहित्यिक, अलंकारिता, वैचारिक, तेजस्वित, समता, स्वतंत्रता, बंधुता मूलक, आधुनिक लोकतांत्रिक संरचना विषयक प्रासंगिकता और मूल्यों की जीवंतता व स्वस्थ परंपरा का सूत्रपात मूकनायक से हुआ। इस पत्रों के द्वारा अन्य पत्रों की प्रतिक्रिया तथा दलित समाज के लोगों में हिन्दु धर्म की वास्तविकता को जानने में सहायता मिली जो दलित चेतना का सर्वमान्य कारण बना। डॉ. अम्बेडकर ने इसके विभिन्न अंकों में अपने विचार दिए। अंक 17 के संपादकीय में उनका कहना था कि हमारा संदेश आदमी के आत्मीयता एवं उसके एहसास को जागृत करने का बौद्धिक आयाम हैं। आज तक हमारे उपर किए गये अन्याय अत्याचार के लिए उन्हें स्वयं पश्चाताप हो हमें ऐसा कार्य करना चाहिए। स्पृस्यों ने अपने ही मातृभूमि के लोगों की अवहेलना एवं अपमान किया है। इसके लिए उन्हें बुरा महसुस हो। अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन लगाने को उन्हें विवश करना यह प्रत्येक बहिस्कृत बंधु को ध्यान में रखकर चलाना हैं।

27 मई 1935 ई. को अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई की मृत्यु हो गई। डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने भी 1935 ई. में येवला (नासिक जिला) कॉफ्रेस में धर्मपरिषद के रक्षापरामर्श समिति का उन्हें सदस्य नियुक्त किया गया। जुलाई 1944 ई. में वह श्रममंत्री बनाए गए। 19 अगस्त 1947 को डॉ० अम्बेडकर भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए तथा भारतीय संविधान निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हुए तथा स्वतंत्र भारत में भारत सरकार के प्रथम विधि मंत्री बनाये गए। 27 सितम्बर 1951 को समाजहित में विधि मंत्री से त्यागपत्रा भी दे दिया। 15 नवम्बर 1948 ई. को उनका दूसरा विवाह शारदा कबीर से हुआ जिसे बाद में सविता अम्बेडकर कहा गया। 1950 ई० में अखिल विश्व बौद्ध सम्मेलन, कोलंबो द्वारा डॉ० अम्बेडकर को बोधिसत्व कहा गया। 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वितीय शताब्दी महोत्सव पर विशिष्ठ दिक्षान्त समारोह में डॉ. अम्बेडकर को एल.एल.डी. की मानद उपाधि प्रदान की गई। 1953 में उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद ने भी उन्हें डी.लिट. की उपाधि प्रदान की। 14 नवम्बर 1956 ई. को नागपुर में बौद्ध धर्म में 10 लाख लोगों के साथ दीक्षित हुए तथा 06 दिसम्बर 1956 ई. को 26 अलीपुर रोड दिल्ली में उनका परिनिर्माण हो गये।

डॉ. अम्बेडकर को दलित समाज के होने के कारण सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ा। अतएव उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करके सामाजिक अपमान से मुक्त होने का निर्णय लिया था। किन्तु उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी उन्हें इससे मुक्ति नहीं मिली। तब उन्होंने प्रतिज्ञा कि की अगर मैं छुआछुत समाप्त नहीं कर सका तो मेरी ज्ञान साधना व्यर्थ हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने दलित समाज को सामाजिक अपमान से मुक्त कराने का महान बीड़ा उठाया तथा संकल्प किया कि जिस समाज में पैदा हुआ हूँ उस समाज की गुलामी नष्ट करने एवं अछुतों को उनका अधिकार दिलाने में अगर मैं विफल रहा तो खुद पर गोली चला लूंगा। डॉ. अम्बेडकर 09 मई 1916 को डॉ. गोल्डन बाइजर द्वारा आयोजित कोलंबिया विश्वविद्यालय में नृविज्ञान पर भारत में जाति प्रथा संरचना उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध के माध्यम से जाति प्रथा को समाज का कलंक माना था। तथा इस बुराई को समाप्त करने के लिए उन धार्मिक धारणाओं को नष्ट करने की बात कहीं जिन पर जाति प्रज्ञा की नीचं रखी गई थी। डॉ० अम्बेडकर दलित होने के कारण जातिभेद, गरीबी, सामाजिक विषमता की मार झेल चुके थे इसलिए दलितों के दर्द को बेहतर समझने में समर्पित थे। उन्होंने ऐसे संगठन की कटू आलोचना की जो दलित हित नहीं रखते थे। 11 मई 1920 ई. के नागपुर सम्मेलन में दलितों को संबोधित करते हुए डॉ. अम्बेडकर ने विरठल राम जी शिंदे के दलित वर्ग मिशन (डिप्रेस्ट क्लासेज मिशन) की जमकर आलोचना की जो सर नारायण चंदावकर की सहायता से संगठित किया गया था। डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसे संगठन और दलित अधिकारों की वकालत करने के पात्र नहीं हैं और न ही उसे ऐसा करने का अधिकार है जो अछुतो द्वारा संचालित नहीं होती हो वास्तव में दलित हीत दलितों के संगठन चलाने के हकदार हैं। क्योंकि वे अन्य की अपेक्षा दलितों की भलाई के बारे में सोंच सकते हैं। डॉ. अम्बेडकर ने भारत के इतिहास में पहली बार सिद्ध किया कि अछुत कानूनी (हिन्दु धर्म ग्रंथ के आधार पर) तौर पर हिन्दु जरूर हैं किन्तु व्यवहारिक तौर वे हिन्दु नहीं है। हिन्दु और अछुतों के बीच बुनियादी तौर पर बैर को सिद्ध करने के लिए अछुतापन की पद्धति ही काफी थी। डॉ. अम्बेडकर हिन्दुओं से बिना किसी देरी किये अपने संबंध को पूर्णतः समाप्त करना चाहते थे। यही कारण है कि हिंदुओं के हिस्से में से अथवा स्वतंत्र रूप से अलग अधिकारों की मांग की। डॉ० अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता को आधार बनाया एवं भारतीय समाज में एकता लाने के लिए विभिन्न मजहबों के धर्मशास्त्रों के प्रभुत्व को समाप्त करना अनिवार्य माना।

महाड़ के अछुतो को चावदार तालाबों का पानी पीना सर्वर्णो ने वर्जित कर दिया था। डॉ० अम्बेडकर का विचार था कि अधिकार मांगने से नहीं छिनने से मिलता है। इसके लिए उन्होंने सुखा टिपनेस, समाशा जी गायकवाड, शिवराम

जाधव, अनंतराव चिले, रामचंद्र मोरे आदि सहयोगियों के साथ 19–20 मार्च 1927 को महाड़ का चावदार तालाब मुक्त करने के लिए जिला बहिस्कृत परिषद का आयोजन किया। इसमें 5000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और अपने भाषण में डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि इंसानियत बेचकर रोटी की मांग करना शर्म की बात है। यदि हम खेती करे तो कुछ हो सकता है। और खेती हमें वन विभाग के बंजर भूमि पर करने की मांग सरकार से करनी होगी। डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में आयोजन के निम्न प्रस्ताव पारित किये गये थे।

(i) वन विभाग की भूमि अछुतों को खेती के लिए दिया जाये और उसे प्रोत्साहित किया जाये।
(ii) दलितों के लिए अनिवार्य शिक्षा और उसके लिए छात्रावासों की स्थापना की जाए।
(iii) अस्पृश्यों (दलितों) को नौकरी में प्रवेश दिया जाये।
(iv) मृत मांस भक्षण के विरूद्ध शासन कानून बनाया जाये तथा लोग भी मृतमांस भक्षण न करें और नशाबंदी की जाये।
(v) बाल विवाह की समाप्ति की जाये।

इसके अतिरिक्त महाड़ सत्याग्रह का आधार पर निम्न प्रस्ताव भी बने थे –

(i) बहिस्कृत समाज के लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर जल वितरण केन्द्रों का उपयोग कर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास वरिष्ठ हिन्दु समाज द्वारा उनका बहिष्कार किया जाता हैं वे लोग ऐसा ना करें तथा बहिस्कृत समाज को सहयोग करे।
(ii) वरिष्ठ हिन्दु समाज दलितों को अपने घरों पर नौकरी प्रदान करें।
(iii) जातिभेद नष्ट करने के उपायों के अन्तर्गत अंतराज्यीय विवाह प्रथा का आरंभ करें।
(iv) दलित एवं गरीब छात्रों को अपने यहाँ बुलाकर सप्ताह में एक बार भोजन सहायता करें।
(v) सवर्ण समाज मृत पशुओं को उठाकर ले जाने की स्वयं व्यवस्था करे एवं दलितों पर निर्भर ना रहे।

साथ ही साथ यह भी कहा गया कि सार्वजनिक कुओं तथा तालाबों पर सूचना पट लगाया जाये कि यह स्थान दलितों के लिए खुला है। डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में महाड़ सत्याग्रह हुआ और हजारों हजार की संख्या में चावदार तालाबों में पानी पीना शुरू किया किन्तु सनातनी सवर्णो द्वारा उनपर आक्रमण किया गया। और दलितों को बहुत मारा पिटा गया जिससे बहुत से लोगों को गंभीर चोटें आयी। परिणामतः तालाब अछुतों के लिए खुल गया। इस मुक्ति संग्राम की प्रतिध्वनि महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में गुंज उठी और दलितों में एक नई चेता का विकास हुआ। डॉ० अम्बेडकर ने 23 मार्च 1927 को मुंबई लौट आये और वहाँ के दंगाईयों को दण्ड दिलाने के लिए न्यायालय का सहारा लिया जिसमें कुछ दंगाईयों को सजा भी मिली। डॉ. अम्बेडकर ने नासिक के कालाराम मंदिरों में प्रवेश के लिए आंदोलन किया इसका उद्देश्य मंदिर में प्रवेश न होकर यह साबित करना ना कि हिंदु आहुत इसका अंग नहीं है। अगर हिन्दु होते तो मंदिर में प्रवेश से क्यों रोका जाता। सत्याग्रह 02 मार्च 1930 को तय किया गया। दादा साहेब बी.के. गायकवाड की अध्यक्षता में सत्याग्रह समिति ने आंदोलन के लिए विस्तृत प्रबंध किये जिसमें 15000 स्वयंसेवक एकत्रित हुए तथा जुलुस के रूप में मंदिर द्वार तक पहुँचे। जहाँ देखा कि पुलिस बंदोबस्त से मंदिर द्वार बंद था। उसको खोलने के लिए विभिन्न जत्थों को गिरफ्तारी भी देनी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप 09 अप्रैल को राम मूर्तिरथ यात्रा में इन्हें स्पर्श करने हेतु अनुमति मिली। किन्तु जब सत्याग्रहियों ने रथ तक पहुँचाने का प्रयास किया तो सवर्ण हिंदुओं द्वारा उनपर पत्थरों एवं लाठियों से हमला किया गया जिसमें डॉ. अम्बेडकर सहित कई लोग घायल भी हुए फिर भी आंदोलन 1935 ई. तक चलता रहा। 02 मार्च को नासिक में अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली भाषण में कहा कि मंदिर में प्रवेश से हमारी सभी समस्याओं का हल नहीं निकल सकता। हमारी समस्यायें व्यापक हैं। इसका स्वरूप राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक हैं। हिन्दु मंदिर प्रवेश सत्याग्रह उच्च हिन्दु वर्ग के खिलाफ हमारा आह्वाहन है जिसने हमें मानवीय अधिकारों से वंचित रखा। यह मात्र हिन्दुओं के हृदय परिवर्तन के लिए है। इसे सफल या असफल बनाना हिन्दुओं की मनोरचना पर निर्भर है। मंदिर प्रवेश से शीघ्र ही हमारा कायाकल्प होगा। ऐसा संभव नहीं है। मंदिर में पत्थरों के मूर्ति का दर्शन व पूजा करने से हमारी समस्यायों का हल नहीं हो सकता है। ऐसा भी नहीं है आज तक इस मंदिर में जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किये हैं, उनकी मूल समस्यायें हल हो चुकी हैं। यह हिनु मन को परिवर्तन करने का प्रयास हैं। नासिक सत्याग्रह हिन्दु

सवर्ण में काफी रोष पैदा कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न स्थानों पर अछुतों को उत्पीड़न एवं दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा।

डॉ० अम्बेडकर का विचार था कि हिंदुओं के साथ झगड़ा होने के बावजूद मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदार कन दूँगा। भारत में हथियार उठाने का अधिकार मात्र क्षत्रियों का था। हिन्दु जब इसमें दलितों का सहयोग मिला तो भारत ने गुलामी की जंजीर को तोड़ दिया एवं स्वतंत्र हुआ। डॉ. अम्बेडकर ने गोलमेल सम्मेलन में अंग्रेजी अखबार को जमकर कोसा और किसी तरह ब्रिटिश सरकार को उचित नहीं समझा। डॉ. अम्बेडकर ने दलितों को भारत राष्ट्र का ज्ञान कराया तथा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति प्रेरित किया।

डॉ० अम्बेडकर का विचार था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में उच्च पदों पर कम से कम एक दलित होना चाहिये। भूमि की खेती व्यवस्था समाप्त करने के लिए अम्बेडकर 17 सितम्बर 1937 को खेती एबोल्युशन बिल पेश किया तथा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। डॉ. अम्बेडकर किरस मिशन के सामने यह कहा कि वर्तमान अनारक्षित रिक्तियों में हिस्सो के पात्र अन्य सम्प्रदायों के जनसंख्या के समान अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 12.75 का अनुसूचित जाति हकदार हैं। डॉ. अम्बेडकर केन्द्रिय अधिनस्थ सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली नियुक्तियों के 8.33 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करवाया। इन सबके बावजूद भारतीय संविधान को संविधान सभा में 26 नवम्बर 1949 ई. को स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। डॉ. अम्बेडकर संविधान अपने विचार के अनुसार तो नहीं बना पाये किन्तु संविधान द्वारा दलितों को सामाजिक, आर्थिक समानता स्थापित करने का कानूनी दस्तावेज अवश्य लागू करवाया। आज के परिपेक्ष में दलितों का कुछ जरूर सुधार हुआ है पर आज भी कहीं न कहीं दलित अपनी स्मिता को लेकर सम्मान के लिए संघर्ष करता दिखाई देता है।

संदर्भ ग्रंथ :–

[1] डॉ. सूर्यनारायण रणसुभें, डॉ. अम्बेडकर, राधा कृष्ण प्रकाशन, दिल्ली 1998

[2] डॉ. बृजलाल वर्मा, सामाजिक न्याय, भावन8ा प्रकाशन, कानपुर, 1991

[3] शीलप्रिय बौध, पुना पैक्ट क्यों? सम्यक प्रकाशन, दिल्ली 2003

[4] एम.एल. सहारे, डॉ. नलिनी अनिल, डॉ. अम्बेडकर की संघर्ष यात्रा।

[5] डॉ. श्याम सिंह बेचैन, दलित पत्रकारिता, मुकनायक

[6] डॉ. डी.आर. जाटव, राष्ट्रीय आंदोलन में अम्बेडकर की भूमिका समता साहित्य 1989

[7] विपिन चंद, मृदुला मुर्खजी, आदित्य मुखर्जी, आजादी के बाद भारत–1947–2000 हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन, दिल्ली–2003